हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 121

मंगलवार, 23 अगस्त, 2016/1 भाद्रपद, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2472, 2602, 2708, 3046 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3338 से 3340 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगति तारांकित प्रश्न संख्या 3009 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3341 से 3379 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1401 से 1413 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्ष के सदस्य, श्री महेश्वर सिंह ने समाचार-पत्रों में छपी खबर का ज़िक्र करते हुए कहा कि अमर उजाला सहित अन्य सभी समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी खबर आई है जिसमें लिखा है कि श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री के खिलाफ चार्जशीट तैयार, आय से अधिक सम्पत्ति मामले में सी0बी0आई0 ने जांच पूरी कर ली है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस पर तुरन्त चर्चा करवाई जानी चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

माननीय सदस्य, इस विषय पर आप पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि यह विषय सदन में चर्चा हेतु रखने योग्य है या नहीं। जिस प्रकार आप इस विषय को सदन में उठा रहे हैं, it cannot be discussed in the House.

(अपराह्न 12.05 बजे असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आऊट किया)

12-05 PM

2. कागजात सभा पटल परः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 14 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःजी0ए0डी0-सी0(पीए)4-2/2003 दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(अपराह्न 12.07 बजे विपक्ष सदन में पुनः उपस्थित हुआ)

12-07 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)** जोकि प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्क्लनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही फल पौध पोषण तथा पौध संरक्षण योजनाओं के आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति (वर्ष 2016-17)** ने समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित समेकित ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग** से सम्बन्धित है कि प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयनः-

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That in pursuance of the Statute 8(1)(ix) of the Statutes of the Himachal Pradesh University, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the members of the Himachal Pradesh University Court for a period of three years commencing from the date of publication of their being as members of the H.P. University court in the notification subject to other provisions of the said statutes."

प्रस्ताव स्वीकार।

5. **विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्तावः-**

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 5) वापिस हुआ।

6. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः-**

श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य जिनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा के लिए लगा था, की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव को प्रस्तुतिकरण हेतु सदन में नहीं रखा गया।

7. **मन्त्री द्वारा वक्तव्यः-**

माननीय मुख्य मन्त्री ने वर्ष 2014 में चार साल के बच्चे जिसका नाम युग था के अपहरण और हत्या के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई बारे सदन में विस्तृत वक्तव्य दिया।

(सदन की बैठक अपराह्न 12.30 बजे बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)